

आउटकम बजट 2022-23

विभाग का नाम:- उच्च शिक्षा

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सैक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सैक्टर योजनाएँ									
अनुदान सं0-11									
1	निर्देशन तथा प्रशासन	1. राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्धन, प्रशासकीय एवं वित्तीय नियन्त्रण, विकास। 2. समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन वितरण, वेतन निर्धारण व अन्य प्रशासनिक कार्य। 3. विश्वविद्यालयों से समन्वय व उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।	639.80	0	106 राजकीय महाविद्यालय, 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	14 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं 02 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान सूची में सम्मिलित।	122 राजकीय महाविद्यालय, 21 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	17 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना एवं 03 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान सूची में सम्मिलित होने के साथ कुल 122 राजकीय महाविद्यालयों, 21 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	एक वर्ष
2	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच में वृद्धि, सभी को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	1463.00	0	गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का उच्चिकरण एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण।	पूर्ववत्	राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु मानकपरक सुसज्जित प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय स्थापित।	यथावत्	एक वर्ष

क्र. सं.	सैक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
3	राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना/नये संकायों, विषयों/पदों का सृजन एवं कार्यशीलता।	33736.52	0	76 राज0 स्नातक महावि0 तथा 30 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	14 राज0 महावि0 की स्थापना तथा 08 राज0 महावि0 का स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण तथा महावि0 में नवीन विषयों को प्रारम्भ किया जाना।	85 राज0 स्नातक महावि0 तथा 37 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	17 प्रस्तावित नवीन राज0 महावि0 की स्थापना सहित 122 स्नातक/स्नातकोत्तर महावि0 में मानकपरक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये बेहतर संचालित महाविद्यालय/संचालित महाविद्यालयों में नये विषयों/संकाय स्थापित एवं नये विषयों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता।	एक वर्ष
4	यू0जी0सी0 मैचिंग शैयर	महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 की योजना के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना।	0.01	0	-	-	-	-	
5	एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित छात्र-छात्राओं को पुरस्कार।	एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित उत्तराखण्ड के मेधावी छात्र-छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करना।	25.00	0	(50 अभ्यर्थियों को रू0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि हेतु धनराशि प्राविधानित।	30 अभ्यर्थियों हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि स्वीकृत।	(50 अभ्यर्थियों को रू0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित।	50 अभ्यर्थी योजना से लाभान्वित होंगे एवं युवा वर्ग को सशस्त्र सेना में कैरियर के चयन का विकल्प प्राप्त होगा।	एक वर्ष
6	महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढीकरण	यू0जी0सी0 से अनुदान प्राप्त करने हेतु नैक प्रत्यायन के लिये निर्धारित मानकों को पूरित हेतु महाविद्यालय को सहायता राशि प्रदान करना।	100.00	0	नैक प्रत्यायन हेतु रू0 56.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	नैक प्रत्यायन हेतु अधिक धनराशि प्रदान किया जाना है।	राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक नैक प्रत्यायन होने के कारण महाविद्यालयों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	सैक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
7	राजकीय महाविद्यालयों/ वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को एडुसैट योजना के माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एस0आई0टी0/अन्य उपकरण आदि की स्थापना किये जाने हेतु	50.00		47 राज0 महावि0 में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	राजकीय महाविद्यालयों/ वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा हेतु रू0 41.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	समस्त छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
8	राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन किये जाने हेतु।	60.00		राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन हेतु रू0 60.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन हेतु रू0 60.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	राज0महाविद्यालयों में अद्ययनरत् छात्र- छात्राओं हेतु पुस्तकों की समस्याओं का निराकरण एवं नवीन ज्ञान में वृद्धि करना।	ई-ग्रंथालय की स्थापना किये जाने से प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्राप्त होगी।	एक वर्ष
9	मुख्यमंत्री नवाचार योजना	उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं के मध्य नवोन्मेष (Innovation) को बढ़ावा देने हेतु।	25.00		मुख्यमंत्री नवाचार योजना हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	राजकीय महाविद्यालयों हेतु मुख्यमंत्री नवाचार योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं के मध्य नवोन्मेष (Innovation) को बढ़ावा देने हेतु।	युवा वर्ग को कौशल संबंधित ज्ञान एवं रोजगारपरक अवसर प्रदान करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को नित आयाम देना, रोजगारपरक शोध को बढ़ावा, मानव को उत्कृष्ट संसाधन के रूप में विकसित करना।	एक वर्ष
10	एक भारत श्रेष्ठ भारत	राज्यों की वेशभूषा, खान-पान एवं संस्कृति का आदान-प्रदान।	20.00		एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत राज्य के 50 छात्रों का दूसरे राज्य के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराना।	राज्यों की संस्कृति का आपस में आदान-प्रदान होगा।	एक वर्ष

क्र. सं.	सैक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
11	राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना	राजकीय महाविद्यालयों में ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किये जाने, स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दिये जाने हेतु	50.00		राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	प्रक्रियारत	राज0 महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातको0 स्तर में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।	एक वर्ष
12	भक्त दर्शन सिंह पुरस्कार योजना	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 05 ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु प्रति शिक्षक को रू0 50,000/- की दर से पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु।	5.00		उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत 05 उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू0 3.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत 03 उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू0 3.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों से विभाग तथा छात्र-छात्राओं को लाभ होगा।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य शिक्षक भी इस कार्य हेतु प्रयासरत रहेंगे, जिससे शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	सैक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
13	संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राज्य वि०वि० से स्ना०/ स्नातको० उपाधि प्राप्त की हो को अखिल भारतीय सिविल सेवा व सम्मिलित रक्षा सेवा (सी०डी०एस०/ आई०एम०ए०) प्रवेश परीक्षाओं एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रवेश परीक्षाओं हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण/कोचिंग उपलब्ध कराये जाने हेतु।	20.00		उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण/कोचिंग हेतु रू० 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	प्रक्रियारत	उत्तराखण्ड राज्य के निवासी छात्र-छात्राओं जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राज्य वि०वि० से स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हा तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय रू० 5.00 लाख से कम हो को सी०डी०एस०/ आई०एम०ए० प्रवेश परीक्षा/ सिविल सेवाओं में प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग देने हेतु विशेष आर्थिक सहायता के रूप में रू० 50.00 हजार प्रति छात्र की सहायता प्रदान किये जाने हेतु।	आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धा भावना जागृत होने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेंगा।	एक वर्ष
14	शोध एवं विकास कार्य हेतु	प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किये जाने तथा छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु।	10.00		शोध एवं विकास कार्य की योजना हेतु रू० 10.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	राजकीय महाविद्यालयों हेतु शोध एवं विकास कार्य हेतु रू० 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किये जाने तथा छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु।	शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को शोध एवं विकास कार्य के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से न केवल उनके बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा अपितु विकास एवं स्वरोजगार के नवीन अवसर खोजने में भी सहायता मिलेगी, जिससे अध्यापन कार्य में आ रही समस्याओं का निदान होगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।	

क्र. सं.	सैक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
15	अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान	अशासकीय महाविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को शासकीय व्यवस्था के अनतर्गत वेतनादि की व्यवस्था।	12500.01	0	18 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	03 अशा0 महावि0 को अनुदान सूची में सम्मिलित।	21 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	03 अशा0 महाविद्यालयों अनुदान सूची में सम्मिलित होने के उपरान्त 21 अशा0 महावि0 में कार्यरत कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं रखरखाव सम्पन्न होगा।	एक वर्ष
16	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान।	क्षमता विकास के अन्तर्गत प्राध्यापकों को शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु सहायता अनुदान की व्यवस्था।	1.00	0	प्राध्यापकों को अनुदान की सुविधा दिया जाने हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	पूर्ववत्	विदेशों में शिक्षित /प्रशिक्षित प्राध्यापकों से उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन में वृद्धि।	यथावत्।	एक वर्ष
17	वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्राओं को छात्रावास की सुविधा।	वनस्थली विद्यापीठ में छात्रावास का रखरखाव हेतु।	2.00	0	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 196 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	उत्तराखण्ड की छात्राओं की सुविधा हेतु वनस्थली जयपुर, राजस्थान को रू0 2.00 की धनराशि उपलब्ध करायी।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 196 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव।	उत्तराखण्ड की छात्राएँ गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं लाभान्वित।	एक वर्ष
18	प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति	शुल्क नियामक समिति के सदस्यों को मानदेय एवं शुल्क नियामक समिति के कार्यालय के व्ययों की व्यवस्था करना।	11.00	0	शुल्क निर्धारण समिति का गठन एवं रू0 11.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	समिति द्वारा प्रदेश के सभी निजी एवं अनुदानित वि0वि0/ महाविद्यालयों /संस्थानों में चल रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क का निर्धारण।	समिति के सदस्यों को मानदेय का वितरण एवं नियामक समिति के कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	विवेकपूर्ण शुल्क ढाँचे के निर्धारण द्वारा सर्वसुलभ शिक्षा तथा संसाधनों का नियोजन।	एक वर्ष
19	भारतीय भाषा विकास।	विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार।	2.00	0	भारतीय भाषा केन्द्र हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि प्राविधानित	भारतीय भाषा के विकास हेतु रू0 2.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	09 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।	विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार।	एक वर्ष
अनुदान सं0-11 का योग:-			48720.34	0					

क्र. सं.	सेक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
<b>अनुदान सं०- 30 (राजस्व पक्ष)</b>									
20	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	महाविद्यालयों में ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री और शिक्षण उपलब्ध कराना।	361.00	0	ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग में वृद्धि करना एवं यूजीसी व अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन कोर्स वियर का प्रयोग करना।	पूर्ववत्	महाविद्यालयों को एलसीडी / फोटो कापियर / कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके माध्यम से उपलब्ध कांसेस का प्रसारण किया जायेगा।	यथावत्।	एक वर्ष
21	प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना।	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी हेतु प्रशिक्षण करना।	30.00	0	प्रदेश के 13 महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु रू० 22.85 लाख की धनराशि प्राविधानित।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित 13 राज० महावि० हेतु रू० 22.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	प्रदेश के 13 राज० महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।	छात्र-छात्राएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त करेंगे।	एक वर्ष
<b>अनुदान सं०-30 का योग:-</b>			<b>391.00</b>	<b>0</b>					
<b>अनुदान सं०- 31 (राजस्व पक्ष)</b>									
22	अनुसूचित जनजाति उपयोजना। (03-महावि० सुदृढीकरण) टी०एस०पी०	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधाएं एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना।	9.90	0	जनजाति क्षेत्र में संचालित 07 महावि० के सुदृढीकरण हेतु रू० 9.90 लाख की धनराशि प्राविधानित।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित 07 राज० महावि० हेतु य० 9.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	जनजाति क्षेत्र के संचालित 07 राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	जनजाति छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त सुविधाएं एवं पुस्तकें प्राप्त होंगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	सेक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
23	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्।	राजकीय महाविद्यालयों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययन हेतु मानकपरक विषय सामग्री उपलब्ध कराना।	76.00	0	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिसंक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्यो हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिसंक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्	एक वर्ष
अनुदान सं०-31 का योग:-			85.90	0.00					
राजस्व पक्ष अनु० सं० (11,30,31) का कुल योग:-			49197.24	0					
24	रुसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में ढाँचागत सुविधाओं का निर्माण/विस्तार करना।	0	4400.00	आवश्यक भवन संरचना उपलब्ध कराये जाने हेतु रुसा के माध्यम से बजट आवंटन।	महावि० में रुसा के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु रु० 2411.42 लाख की धनराशि रुसा को हस्तान्तरित।	रुसा फेज-1 एवं रुसा फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में होने वाले निर्माण कार्यो को पूर्ण किया जायेगा।	राज्य विश्वविद्यालयों एवं शास०/ अशा० महाविद्यालयों में यथाआवश्यक ढाँचागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।	एक वर्ष
केन्द्र पोषित पूँजीगत पक्ष का योग:-			0.00	4400.00					



क्र. सं.	सेक्टर/योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022-23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022-23	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
<b>अनुदान सं०-11 (पूँजीगत पक्ष)</b>									
25	कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना।	राजकीय महाविद्यालयों में चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण करना एवं नये निर्माण कार्य को प्रारम्भ करना।	0	3417.85	महावि० में निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू० 2500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	महावि० के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।	एक वर्ष
26	राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय / भवन निर्माण।	1. असेवित क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना। 2. महाविद्यालयों में चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण करना एवं नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।	0	351.48	राज० महावि० हेतु भूमि/भवन निर्माण की व्यवस्था।	राजकीय महाविद्यालय के भूमि/भवन निर्माण हेतु 153.34 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	वर्ष 2021-22 में महावि० को भूमि/भवन की उपलब्धता की प्रक्रिया गतिमान।	महावि० के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।	एक वर्ष
27	उच्च शिक्षा निदेशालय भवन निर्माण	निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन के निर्माण हेतु।	0	83.00	निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन निर्माण की व्यवस्था।	-	वर्ष 2021-22 में निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन निर्माण की प्रक्रिया गतिमान।	-	एक वर्ष
28	स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम।	राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण।	0	120.00	राज० महावि० लम्बगॉव में स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम का भवन निर्माणाधीन	राज० महावि० लम्बगॉव में स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम का भवन निर्माण हेतु रू० 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	राज० महावि० लम्बगॉव में निर्माणाधीन स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम के भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।	राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में गुणवत्तायुक्त बी०एड० कार्यक्रम संचालित करने का वातावरण निर्मित होगा।	एक वर्ष
<b>अनुदान सं०-11 पूँजीगत पक्ष का योग:-</b>			<b>0</b>	<b>3972.33</b>					
<b>29</b>									
30	जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण	राजकीय महाविद्यालय चकराता में ढाँचागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।	0	120.00	राज० महावि० चकराता में बहुउद्देशीय भवन एवं परीक्षा भवन के निर्माण कार्य हेतु।	रू० 24.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	बहुउद्देशीय भवन एवं परीक्षा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	सम्बन्धित महाविद्यालय में अध्ययन हेतु बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।	एक वर्ष
<b>अनुदान सं०-31 पूँजीगत पक्ष का योग:-</b>			<b>0</b>	<b>120.00</b>					
<b>कुल योग (राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष)</b>			<b>49197.24</b>	<b>8492.33</b>					

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

SDG संकेतक	1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23
राज्य सैक्टर योजनाएँ				
अनुदान सं०-11 (राजस्व पक्ष)				
4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।				
1- निदेशन तथा प्रशासन	106 राजकीय महाविद्यालय, 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	14 नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं 03 अशा० महावि० अनुदान सूची में सम्मिलित।	122 राजकीय महाविद्यालय, 21 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	17 नवीन महावि० की स्थापना के साथ कुल 122 राज० महाविद्यालयों, एवं 03 अशा० महावि० के अनुदान सूची में सम्मिलित होने के उपरान्त 21 अशा० महावि० का अनुश्रवण।
2-राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	76 राज० स्नातक महावि० तथा 30 राज० स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	14 नवीन राज० महावि० की स्थापना तथा 08 राज० महावि० का स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण तथा विभिन्न महावि० में नवीन विषयों को प्रारम्भ किया जाना।	85 राज० स्नातक महावि० तथा 37 राज० स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	17 प्रस्तावित नवीन राज० महावि० की स्थापना सहित 122 स्नातक/ स्नातकोत्तर महावि० में मानकपरक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये बेहतर संचालित महाविद्यालय/ संचालित महाविद्यालयों में नये विषयों/संकाय स्थापित एवं नये विषयों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता।
3-राजकीय महाविद्यालयों/ वि०वि० को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	47 राज० महावि० में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज० महावि० में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि०वि० को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	समस्त छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।
4-राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन	ई-ग्रंथालय योजना हेतु रू० 60.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	योजना हेतु रू० 60.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	राज० महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पुस्तकों की समस्याओं का निराकरण एवं नवीन ज्ञान में वृद्धि करना।	ई-ग्रंथालय की स्थापना किये जाने से प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्राप्त होगी।

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
5-मुख्यमंत्री नवाचार योजना	मुख्यमंत्री नवाचार योजना हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	मुख्यमंत्री नवाचार योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	वर्तमान समय, ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था का है, जिसमें नवीन ज्ञान की पद्धति और अन्वेषण की परम्परा की समृद्ध करने की आवश्यकता है।	जिससे वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करने तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए '05 ट्रिलियन डॉलर' के लक्ष्य को साकार करने के निमित्त दक्ष कौशल और ज्ञान से समृद्ध मानव संसाधन के विकास में वृद्धि होगी।
6-एक भारत श्रेष्ठ भारत	एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत राज्य के 50 छात्रों का दूसरे राज्य के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराना।	राज्यों की संस्कृति का आपस में आदान-प्रदान होना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को अंगीकार करना।
7-अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान	18 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	03 अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित।	21 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मिकों का वेतन भुगतान एवं रखरखाव सम्पन्न होगा।
8-वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल की छात्राओं को छात्रावास की सुविधा।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 196 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	उत्तराखण्ड की छात्राओं की सुविधा हेतु वनस्थली जयपुर, राजस्थान को रू0 2.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 196 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	उत्तराखण्ड की छात्राएं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं लाभान्वित।
10-महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढीकरण	नैक प्रत्यायन हेतु रू0 56.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन में प्रेषित।	नैक प्रत्यायन हेतु अधिक धनराशि प्रदान किया जाना।	राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक नैक प्रत्यायन होने के कारण महाविद्यालयों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होगी।
11-शोध एवं विकास कार्य हेतु	शोध एवं विकास कार्य की योजना हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	शोध एवं विकास कार्य हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को शोध एवं विकास हेतु प्रेरित तथा प्रोत्साहित किये जाने हेतु।	शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को शोध एवं विकास कार्य के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से न केवल उनके बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा अपितु विकास एवं स्वरोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त होंगे।

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
12-प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति	शुल्क निर्धारण समिति गठित।	समिति द्वारा प्रदेश के सभी निजी एवं अनुदानित वि०वि० / महाविद्यालयों/संस्थानों में चल रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क का निर्धारण।	समिति के सदस्यों को मानदेय का वितरण एवं नियामक समिति के कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	1. प्रदेश के उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत सभी ऐसे छात्र जो प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सुसंगत, उचित एवं सर्वसुलभ शिक्षा प्राप्त हो सकें। 2. विवेकपूर्ण शुल्क ढाँचे के निर्धारण द्वारा सर्वसुलभ शिक्षा तथा संसाधनों का नियोजन।
13-भारतीय भाषा विकास।	भारतीय भाषा विकास योजना हेतु रू० 2.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	भारतीय भाषा के विकास हेतु रू० 2.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	9 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।	विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार।
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सकें।				
1-निदेशन तथा प्रशासन	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिसंक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में विकलांगों हेतु उपयुक्त एवं प्रभावी वातावरण तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिसंक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेंगा।	यथावत्
2-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का उच्चीकरण एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण।	पूर्ववत्	राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु मानकपरक सुसज्जित प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय स्थापित।	यथावत्

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
3-राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान
4-यू0जी0सी0 मैचिंग शैयर	वर्तमान में लागू नहीं।			
5-राजकीय महाविद्यालयों/ वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	47 राज0 महावि0 में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	पूर्ववत्	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	ऑनलाईन शिक्षा के प्रचार- प्रसार में वृद्धि।
6-मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण	महावि0 में अध्ययनरत् मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	प्रक्रियारत	राज्य विश्वविद्यालयी स्तर पर समस्त स्नातक/स्नातको0 में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि में प्रभावी रूप से वृद्धि होगी तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
7-संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण/ कोचिंग हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	प्रक्रियाधीन	उत्तराखण्ड राज्य के निवासी छात्र-छात्राओं जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राज्य वि0वि0 से स्ना0/ स्नातको0 उपधि प्राप्त की हो तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय रू0 5.00 लाख से कम हो को सी0डी0एस0/ आई0एम0ए0 प्रवेश परीक्षाओं/सिविल सेवाओं में प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग देने हेतु विशेष आर्थिक सहायता के रूप में रू0 50.00 हजार प्रति छात्र की सहायता प्रदान किये जाने हेतु।	आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से छात्र- छात्राओं में राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धा भावना जागृत होने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
4.9- 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।				
1-निदेशन तथा प्रशासन	असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु वर्तमान में कोई पृथक छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित नहीं।	-	असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्ति योजना लागू किये जाने से पलायन की समस्या का समाधान संभव होगा।	यथावत्

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
2-स्नातकोत्तर / पीएचडी हेतु निर्धन छात्रों को सहायता	टोकन बजट प्राविधानित।	नये वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से प्रस्ताव प्रस्तावित किया जायेगा।	-	-
3-मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण	महावि० में अध्ययनरत् मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार हेतु रू० 50.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	-	राज० महाविद्यालयों में स्नातक/ स्नातको० स्तर में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
4-संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र /छात्राओं को प्रशिक्षण/ कोचिंग हेतु रू० 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता हेतु रू० 20.00 लाख बजट प्रस्ताव प्रेषित।	उत्तराखण्ड राज्य के निवासी छात्र-छात्राओं जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राज्य वि०वि० से स्ना०/ स्नातको० उपधि प्राप्त की हो तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय रू० 5.00 लाख से कम हो को सी०डी०एस०/ आई०एम०ए० प्रवेश परीक्षाओं/सिविल सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग हेतु विशेष आर्थिक सहायता के रूप में रू० 50.00 हजार प्रति छात्र की सहायता प्रदान किये जाने हेतु।	आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने से छात्र- छात्राओं में राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धा भावना जागृत होने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
<b>4.10- 2030 तक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभिवृद्धि करना।</b>				
1-निदेशन तथा प्रशासन	<b>2038</b> शिक्षकों के द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था।	34 नवीन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी तथा रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित। नितान्त अस्थायी शिक्षको की व्यवस्था। शिक्षकों द्वारा अभिविन्यास तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग	वर्ष 2022-23 के अंत तक शिक्षकों की कुल संख्या <b>2343</b> अनुमानित।	पर्याप्त संख्या में शिक्षको की नियुक्ति से गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
2-उच्च शिक्षा भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार	पुरस्कार योजना हेतु रू0 3.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	उच्च शिक्षा विभाग के 03 उत्कृष्ट शिक्षकों को रू0 50,000/- प्रति शिक्षक की दर से पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों से विभाग तथा छात्र-छात्राओं को लाभ होगा।	शिक्षकों में नवोन्मेषी कार्यों हेतु रुचि उत्पन्न होगी।
3-प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान।	प्राध्यापकों को यात्रा अनुदान की सुविधा दिया जाने हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	पूर्ववत्	विदेशों में शिक्षित /प्रशिक्षित प्राध्यापकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन।	यथावत्।
<b>अनुदान सं0-30 (राजस्व पक्ष)</b>				
4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।				
1-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक के प्रयोग में वृद्धि करना एवं यू0जी0सी0 व अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य ऑनलाईन पोर्टल्स तथा ऑनलाईन कोर्सेस का प्रयोग करना।	पूर्ववत्	महाविद्यालयों को एल0सी0डी0 /फोटो कापियर /कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके माध्यम से उपलब्ध कार्सेस का प्रसारण किया जायेगा।	यथावत्।
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
1-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिसंक एवं समावेशी वातावरण सुजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिसंक वातावरण सुजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्
<b>4.9- 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।</b>				
1-प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना।	प्रदेश के 13 महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों तथा उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था।	प्रशिक्षण हेतु रू० 22.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	प्रदेश के 13 राज० महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।	छात्र-छात्राएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त करेंगे।
<b>अनुदान सं०-31 (राजस्व पक्ष)</b>				
<b>4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिसंक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।</b>				
1-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्।	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिसंक एवं समावेशी वातावरण सुजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिसंक वातावरण सुजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्



**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
<b>4.9- 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।</b>				
1-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0)	जनजाति क्षेत्र में संचालित 07 महावि0 के सुदृढीकरण हेतु बजट प्राविधानित।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित महावि0 हेतु रू0 9.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	जनजाति क्षेत्र के संचालित 07 राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	जनजाति छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त सुविधाएँ एवं पुस्तकें प्राप्त होंगी।
<b>केन्द्रपोषित पूँजीगत पक्ष</b>				
<b>4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।</b>				
1-रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	आवश्यक भवन संरचना उपलब्ध कराये जाने हेतु रूसा के माध्यम से बजट आवंटन।	महाविद्यालयों में रूसा के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु रू0 2411.42 लाख की धनराशि रूसा को हस्तान्तरित।	रूसा फेज-1 एवं रूसा फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में होने वाले निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जायेगा।	राज्य विश्वविद्यालयों एवं शास0 / अशा0 महाविद्यालयों में यथाआवश्यक ढाँचागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।
<b>अनुदान सं0-11 (पूँजीगत पक्ष)</b>				
<b>4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।</b>				
1-राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय / भवन निर्माण।	अधिकांश राज0 महावि0 हेतु भूमि/भवन निर्माण की व्यवस्था।	राजकीय महाविद्यालय शीतलाखेत के भूमि की रजिस्ट्ररी हेतु 153.34 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	वर्ष 2022-23 में नवीन महाविद्यालयों को भूमि/भवन की उपलब्धता की प्रक्रिया गतिमान।	महावि0 के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**सतत् विकास लक्ष्य**

**विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा**

<b>SDG संकेतक</b>	<b>1.4.2021 की स्थिति (भौतिक स्थिति)</b>	<b>31.3.2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>	<b>परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23</b>
<b>4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चिकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।</b>				
1-कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना।	महावि0 में निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 2500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	महावि0 के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।
2-उच्च शिक्षा निदेशालय भवन निर्माण	निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन निर्माण की व्यवस्था।	-	वर्ष 2021-22 में निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के आवासीय भवन निर्माण की प्रक्रिया गतिमान।	-
3-स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम।	राज0 महावि0 लम्बगॉव में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम का भवन निर्माणाधीन	राज0 महावि0 लम्बगॉव में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम का भवन निर्माण हेतु रू0 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त।	राज0 महावि0 लम्बगॉव में निर्माणाधीन स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम के भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।	राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में गुणवत्तायुक्त बी0एड0 कार्यक्रम संचालित करने का वातावरण निर्मित होगा।
<b>अनुदान सं0-31 (पूँजीगत पक्ष)</b>				
<b>4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चिकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।</b>				
1-जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण	राज0 महावि0 चकराता में बहुउद्देशीय भवन एवं परीक्षा भवन के निर्माण कार्यों हेतु।	रू0 24.56 लाख की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी।	बहुउद्देशीय भवन एवं परीक्षा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	सम्बन्धित महाविद्यालय में अध्ययन हेतु बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।